न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस0पी0सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 33/2016

बउनवान

राजाराम उम्र 32 वर्ष पुत्र श्री भजना जाति–मीणा निवासी–जलोदा तेजाजी
तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1– कालीबाई पत्नी बिरधीलाल जाति–मीणा निवासी–जलोदा तेजाजी
तहसील–मॉगरोल जिला–बारां

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील विरूद्व तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 580 <u>दिनांक 01.02.2013 वाके ग्राम जलोदा तेजाजी अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री पिकेंश जगरवाल,अभिभाषक **(रेस्पोंडेंट)**

<u>निर्णय दिनांक– 26.08.2018</u>

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 580 दिनांक 1.2.2013 वाके ग्राम जलोदा तेजाजी से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि खाता संख्या 175 में ख0नं. 239 रकबा 1.37 है0 व ख0नं0 285 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 रकबा 1.52 है0 अपीलांट के खाते दर्ज थी। अपीलांट को कर्ज अदायगी हेतु रूपये की आवश्यकता होने पर अपीलांट ने सम्पूर्ण खाते के रकबे 1.52 है0 का 5/24 वां हिस्सा रेस्पोंडेंट क्रम–1 को रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 11.6.2004 को किया गया। जो लगभग 0.3166 यानि 0.32 है0 बनता है, जिसका रजिस्टर्ड बेचान किया था। लेकिन रेस्पोडेंट क्रम–2 तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा क्रेता रेस्पोडेंट क्रम–1 के पक्ष में इन्तकाल रकबा 0.48 है0 हैक्टर का तस्दीक कर दिया जो कि बेचान भूमि से 1 बीघा ज्यादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल तस्दीक से पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.6.2004 का अवलोकन नहीं किया जिसमें साफ लिखा था कि सम्पूर्ण खाते रकबा 1.52 है0 का 5/24 वां हिस्सा विक्रय किया है जो लगभग 0.32 है0 हीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण इन्तकाल तस्दीक किया है।

रेस्पोडेंट क्रम–1 व अपीलांट के मध्य आराजी का बंटवारा हो गया है। अपीलांट को बंटवारे में भी कोई आपत्ति नहीं है क्योकि रेस्पोडेंट क्रम–1 मात्र 2 बीघा भूमि पर काबिज काश्त है और रेकार्ड में भी 0.32 है0 भूमि हीं दर्ज होना चाहिये। अपीलांट को इस आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 22.10.2016 को भूमि पर के0सी0सी0 बनाने हेतु बैंक में जाने पर हुयी। जानकारी से नकल मिलने पर अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा इन्तकाल नं0 580 ग्राम जलोदा तेजाजी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.6.2004 के अनुसार रेस्पोडेंट क्रम–1 के 0.32 है0 का इन्तकाल दर्ज रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट व सहखातेदारान् के मध्य ग्राम जलोदा तेजाजी तह. मॉगरोल के खाता संख्या 175 में ख0नं0 239 रकबा 1.37 है0 व ख0नं0 285 रकबा 0.15 है0 कुल 2 किता रकबा 1.52 है0 संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी में से अपीलांट ने अपने हिस्से की आराजी 3/4 में से 5/24 वां हिस्सा जो लगभग 0.32 है0 बनता है, को रेस्पोडेंट कम–1 कालीबाई पत्नी बिरधीलाल धाकड को दिनांक 11.6.2004 को रजिस्टर्ड बेचान किया था जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अमल दरामद करते समय 0.32 है0 से स्थान पर 0.48 है0 यानि 1 बीघा भूमि अधिक भूमि का रेस्पोडेंट के पक्ष में इन्तकाल दर्ज कर दिया है। जबकि अपीलांट व रेस्पोडेंट अपने सहमति अनुसार अपने–अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पोडेंट क्रम–2 तहसीलदार, मॉगरोल की त्रुटि की वजह से रेस्पों0 क्रम–1 के 1 बीघा भूमि अधिक दर्ज हो गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल को निरस्त किया जाकर, रेस्पों0 क्रम–1 कालीबाई के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.6.2004 के अनुसार 0.32 है0 का हीं इन्तकाल दर्ज किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का कोई खण्डन नहीं करते हुये व्यक्त किया कि रेस्पोडेंट ने वर्णित आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खरीद की है। इसलिये यदि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उनकी भूमि कम या अधिक होती है तो उसे दुरूस्त करने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा हस्तगत इन्तकाल नं. 580 दिनांक 01.02.2013 वाके ग्राम जलोदा तेजाजी तह. मॉगरोल अपीलांट व रेस्पोडेट क्रम–1 के सयुक्त खातेदारी में दर्ज आराजी ख0नं0 239 रकबा 1.37 है0 व ख0नं0 285 रकबा 0.15 है0 कुल 2 किता रकबा 1.52 है0 का मुताबिक सहमति बॅटवारा आदेश केम्प/134/8 दिनांक 01.02.2013 के अनुसरण में तस्दीक हुआ है। अपीलांट ने अपील में उक्त इन्तकाल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक होने के तथ्य प्रस्तुत किये गये है जो उचित प्रतीत नहीं होते है क्योकि हस्तगत इन्तकाल सहमति बॅटवारा प्रस्ताव के आधार पर तस्दीक हुआ है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना संभव नहीं है। परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 ... सिंह)
जिला ... बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official